न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
77/2022

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

तारीख फैसला
30.09.2022

उनवान

1– संतोषबाई उर्फ ढोलाबाई पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण, पत्नी मोहनलाल जाति कीर निवासी भगवानपुरा तहसील दीगोद हाल निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(वादिनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती</u>

निर्णय

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 545 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 की 0.86 हेक्टर कुल दो किता की 1.62 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिनी का 1/28 हिस्से की सहखातेदारी दर्ज है। नकल जमाबन्दी 2074–2077 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादिनी के पिता लक्ष्मीनारायण जी का 1/7 हिस्सा दर्ज था। लक्ष्मीनारायण जी की मृत्यु के बाद उक्त 1/7 हिस्से की भूमि पर उनके वारिसान का नाम दर्ज हुआ जिसमें वादिनी का नाम सहवन से घर का नाम संतोष बाई दर्ज हो गया जो गलत है। जबकि सही नाम ढोलाबाई है, एवं आधार कार्ड में भी वादिनी का नाम ढोलाबाई दर्ज है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ढोलाबाई के स्थान पर संतोषबाई दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसके कारण वादिनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। वर्तमान में भी वादिनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

यह कि उपरोक्त क[illegible] वादिनी का नाम संतोषबाई के स्थान पर ढोलाबाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दु[illegible] जाना आवश्यक है। इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्य[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादिनी ने निवेदन किया है कि ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 545 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 की 0.86 हेक्टर कुल दो किता की 1.62 हेक्टर भूमि में वादिनी का नाम संतोषबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर ढोलाबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में संतोषबाई व ढोलाबाई एक ही महिला होना प्रकट किया है।

वादिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 545 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 की 0.86 हेक्टर कुल दो किता की 1.62 हेक्टर भूमि में वादिनी का नाम संतोषबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर ढोलाबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:28 IST
Reason: SelfAttested